संख्या- 921/22-4-2010-48(64)/99

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0,लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 22 अप्रैल,2010

विषयः- केन्द्रीय कारागार आगरा एवं नैनी में स्थापित साबुन एवं फिनायल उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोज्य सामग्री के क्रय हेतु अनुमोदन ।

महोदय,

महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दि.-31.12.2009,एवं दि.-01.01.2010 में की गयी संस्तुतियों एवं उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0-1830/उद्योग-6/09 दि.-20.1.2010,पत्र सं0-1831/उद्योग-6/09 दि.-20.1.2010,पत्र सं0-1832/उद्योग-6/09 दि.-20.1.2010 एवं पत्र सं0-1833/उद्योग-6 /09 दि.-20.1.2010 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार आगरा एवं नैनी में स्थापित साबुन एवं फिनायल उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोज्य सामग्री के क्रय हेतु अनुमोदन निम्नवत एवं आगे अंकित शर्तों के अधीन दिया जाता है:-

सामग्री	मात्रा	विशिष्टि	न्यूनतम दर दाता	न्यूनतम दर (रूपये में)	कुल धनराशि (रूपये में)
पाइल आयल	11250 लीटर	IS-मानक	मे0 पूजा इन्टरप्राइजेज, रायबरेली	23800/- प्रति100लीटर	26,77,500.00
एसिड स्लरी	231.84 कुन्तल	IS 8401-1977	उ0प्र0लघु उद्योग निगम, कानपुर मे0बी0पी0ब्रदर्स,कानपुर	17900/- प्रति कुन्तल	41,49,936.00
लाइट कोजिट आयल	150.00 कुन्तल	IS-218-1983	मे0बी0पी0ब्रदर्स, कानपुर	8895/- प्रति कुन्तल	13,34,250.00
महुआ तेल	393.20 कुन्तल	IS-545-1984	मे0 पूजा इन्टरप्राइजेज, रायबरेली	8850/- प्रति कुन्तल	34,79,820.00
योग	- (रूपये-एक करोड़ सोलह लाख इकतालिस हजार पॉच सौ छः मात्र)				1,16,41,506.00

क- प्रश्नगत क्रय शासन की क्रयनीति,सामग्रीक्रय नियमों/विनियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों यथा शासनादेश सं-2177/एल/18-7-94-151 (एस.पी)/82 दि0-17.10.94 एवं शासनादेश सं0-344/18-5-2003-76(एस.पी.) /86 दिनांक-10.03.03 का पूर्ण अनुपालन करते हुये किया जायेगा ।

PTO

ख- क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आपूर्ति उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन सुधार सेवायें, उ0प्र0 का होंगा ।

ग- आपूर्ति कर्ता फर्मों एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अ किया जायेगा ।

घ- प्रश्नगत क्रय से सम्बन्धित संविदा/अनुबन्ध की प्रतिलिपि सीनियर आडिट अ (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम उ0प्र0 थार्नहिल इलाहाबाद-211001 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेंगी ।

ङ- क्रय की गई सामग्री का पूर्ण उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2011 तक सुनि किया जाय तथा उपयोग की वित्तीय भौतिक त्रैमासिक रिपोर्ट शासन को नियमि से उपलब्ध करायी जायेगी ।

च- क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शास उपलब्ध कराई जायेगी ।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-921(1)/22-4-2010- तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सीनियर आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार परीक्षा)प्रथम उ0प्र0 थार्नहिल रोड इलाहाबाद-211001
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
3- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।
4- गार्डबुक

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।